न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जुआरिंग पुत्र श्री कसालिंग, जाति पुरोहित, निवासी किवरली, तहसील देलदर (प्रार्थी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश कुमावत)		श्रीमति रंजना देवी पत्नि रमेश अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी स्कूल के पास, गांधीनगर, आबूरोड़ व अन्य – 3 (अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता श्री भंवरसिंह व अप्रार्थी सं. 2 अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सुराणा)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024

दिनांक 3.9.2025

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली, में निम्न खसरा नम्बरान 1277/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 12 कुला रकबा 4.6913 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। यह कि वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं वाद के प्रतिवादी संख्या 03 से 26 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिसमें यह सभी बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर कृषि कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण लगातार करते चले आ रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या 02 श्री रविशंकर, स्व. श्री जवानिंग उर्फ जमानींग का प्राकृतिक पुत्र है, जवानिंग उर्फ जमानींग का स्वर्गवास दिनांक 18.09.2020 को हो चुका है। जवानिंग उर्फ जमानिंग के प्राकृतिक पिता स्व. श्री अचलिंग थे। यह कि वर्णित कृषि भूमि में कभी भी अप्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम बतोर खातेदार या अन्यथा नहीं रहा, न ही इस कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 अथवा उसके पिता स्व. श्री जवानिंग उर्फ जमानिंग का कभी कोई लेना–देना या हक, अधिकार रहा। यह कि अप्रार्थी संख्या 02 आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसने प्रार्थी की कृषि भूमि को हड़प कर अवेध रूप से विक्रय कर रकम हड़पने का षडयंत्र रच प्रार्थी वर्णित विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को अवैध रूप से अपने पिता श्री जमानींग की कृषि भूमि होना बताते हुए प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को जमानींग का उर्फ नाम जुआरिंग होना बताकर, जो कि जमानींग का उर्फ नाम जुआरिंग होना बताकर, जो कि जमानींग का उर्फ नाम कभी नहीं रहा, एक फर्जी व कूटरचित सर्वाधिकार पत्र 100/– रूपये के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प क्रमांक BS085703 पर जुआरींग उर्फ जमानींग द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के हक में दिनांक 29.12.2023 को निष्पादित करवाया और उसमें अपने सहयोगियों को फर्जी गवाहान बनाकर तथा अपने पिता जवानिंग उर्फ जमानींग , जिसका दिनांक 18.09.2020 को देहान्त हो चुका है, को जीवित होना बताते हुए अपने साथ षड्यंत्र में शामील अपने सहयोगी को जमानींग उर्फ जुआरिंग के स्थान पर खड़ा कर सर्वाधिकार पत्र दिनांक 29.12.2023 पर फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर ''जवारींग'' करवाकर [illegible]। यह कि अप्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम जमानींग उर्फ जवानिंग है, इसके पिता का उर्फ [illegible] कभी भी जुआरिंग नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 के दादा का नाम अचलिंग जी था। किन्तु फर्जी व कूटरचित सर्वाधिकार पत्र दिनांक 29.12.2023 में प्रथम पक्ष के स्थान [illegible] जमानींग पुत्र कसालिंग पुरोहित को अप्रार्थी संख्या 02 ने अवैध रूप से अपना पिता बताकर स्वयं के हक में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/4 हक, हिस्से की कृषि भूमि का फर्जी व कूटरचित सर्वाधिकार पत्र निष्पादित करवा दिया। जो आरम्भतः अवैध , शून्य व प्रभावहीन है। यह कि अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त आरम्भतः अवैध, शुन्य व प्रभावहीन सर्वाधिकार पत्र दिनांक 29.12.2023 के आधार पर एक आरम्भतः अवैध,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

न्य व प्रभावहीन विक्रय विलेख दिनांक 01.01.2024 अप्रार्थी संख्या 01 के हक में निष्पादित करवा दिया और इस विक्रय विलेख से वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/4 हक, हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि एवं गैर मुमकीन वैरे में उसके हक, हिस्से का विक्रय कर दिया। यह विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहयोगियों पत्र को आधार बनाकर करवाया है, जो विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के हक, अधिकारों पर कोई बंधनकारी प्रभाव नही रखता है और न ही इस आरम्भतः अवैध, शुन्य व प्रभावहीन विक्रय विलेख से अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थी की कृषि भूमि एवं गैर मुमकीन वैरे में कोई हक, व अधिकार प्राप्त होते है। यह कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सर्वाधिकार पत्र दिनांक 29.12.2023 से अप्रार्थी संख्या 01 के हक में विक्रय विलेख दिनांक 01.01.2024 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया गया है, से प्रार्थी के विवादित कृषि भूमि में मौजुदा खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त पर आसन्नसंकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 का इस विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकर्ड से प्रार्थी का नाम हटवाकर स्वयं का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने पर आमादा है। जिस कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा चुनौती दी जा रही है। विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के मौजुदा हक, अधिकारों पर आरम्भतः अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन विक्रय विलेख का कोई बंधनकारी प्रभाव नही होने से विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के हक, अधिकरों तक शुन्य एवं प्रभावहीन है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के पांबद करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश कर अंकन किया गया कि वादी के भतीजे श्री भुवनेश राजपुरोहित पुत्र वक्ताराम पुरोहित द्वारा दिनांक 04.01.2024 को आवेदक कर उपरोक्त पंजीयन किये गये दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गयी, जिस पर आवेदक को उसी दिनांक 04.01.2024 प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी गयी थी। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश कर अंकन किया गया कि तहसील कार्यालय, भू.अ.निरीक्षक किवरली एवं पटवारी हल्का किवरली को उक्त दस्तावेज के आधार पर नामा. दर्ज नही करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नही किये जाने से दिनांक 05.03.2025 को जवाब बंद किया गया ।

पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली, में निम्न खसरा नम्बरान 1277/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 12 कुला रकबा 4.6913 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है।

हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:—

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :— मौजा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली, में निम्न खसरा नम्बरान 1277/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 12 कुला रकबा 4.6913 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त खसरा नंबर की जमाबंदी में जुआरींग पुत्र कसालींग , हिस्सा 1/4, जाति पुरोहित दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विक्रय विलेख निरस्तिकरण का विलेख दिनांक 13.06.2024 की सत्य प्रति पेश की गई जो जुआरिंग पुत्र कसालिंग, जाति पुरोहित, निवासी किवरली को लिख कर दिया है। जिसमें पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 202403600100003 दिनांक 01.01.2024 को रंजना देवी एतद्द्वारा अपनी तरफ से निरस्त व शुन्य घोषित करने व उक्त विक्रय विलेख रंजना देवी की ओर से निष्प्रभावी व अमान्य रहने का अंकन [illegible] है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है [illegible]
2. सुविधा का संतुलन :— मौजा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली, में निम्न खसरा नम्बरान 1277/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 12 कुला रकबा 4.6913 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त खसरा नंबर की जमाबंदी में जुआरींग पुत्र कसालींग , हिस्सा 1/4, जाति पुरोहित दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विक्रय विलेख निरस्तिकरण का विलेख दिनांक 13.06.2024 की सत्य प्रति पेश की गई जो जुआरिंग पुत्र कसालिंग, जाति पुरोहित, निवासी किवरली को लिख कर दिया है। जिसमें पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 202403600100003 दिनांक 01.01.2024 को रंजना देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

एतद्द्वारा अपनी तरफ से निरस्त व शून्य घोषित करने व उक्त विक्रय विलेख रंजना देवी की ओर से निष्प्रभावी व अमान्य रहने का अंकन किया गया है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थी यह साबित करने में सफल रहे है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उसकी भूमि में अनाधिकृत प्रवेश किया जा सकता है व उसके द्वारा प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में सफल रहे।

अतः प्रार्थी द्वारा तीनो व्यादेश अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने से, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त अधिनियम एवं संपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा 151 सी. पी.सी. स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

यह कि प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली, में निम्न खसरा नम्बरान 1277/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 12 कुला रकबा 4.6913 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में सफल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद वे मौजा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली, में निम्न खसरा नम्बरान 1277/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 12 कुला रकबा 4.6913 हैक्टेयर की कृषि भूमि में दखल अंदाजी नही करे, अनाधिकृत प्रवेश नही करे , कोई निर्माण नही करे, न अन्य से करावे , रहन, बेचान , हस्तांतरण व अन्य किसी विधि से अंतरण या भाारित आदि नही करें। वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें।

निर्णय आज दिनांक 3 .9 .2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested